न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
232/22	16.8.22	05.12.22

उनवान

1. भावना पत्नि श्री मनोज कुमार जाति खत्री निवासी ग्राम झिरण्डिया हाल आबाद किशनगढवास तह0 किशनगढवास   वादी

बनाम

1. राज0स्टेट जरिये श्रीमान तहसीलदार तहसील किशनगढबास पैरोकार सरकार, किशनगढबास   प्रतिवादी

दावा इश्तकराहक अन्तर्गत
धारा 88,89, आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः— श्री अजय कृष्ण व्यास वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी की ओर से जबाब सरकार।

निर्णय

वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख0न0107 रकबा 0.05 हे0, 108 रकबा 0.06हे0, 109 रकबा 0.10हे0, 110 रकबा 0.05 हे0, 103 रकबा 0.09 हे0 किता पांच रकबा 0.3500हे0 चाही आलिफ मिन वादीया बहैसियत मालिक खातेदार काश्तकार काबिज वो दखिल चला आ रहा है। जो आराजी वाद वादीया मे विवादित आराजी कहलावेगी। नकल जमाबंदी संवत 2073—2076 संलग्न की जा रही है।विवादित आराजी दीगर कृषि आराजी वाके ग्राम मौजा झिरण्डिया को वादीया ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रमांक 2013004334 दिनांक 29.7.2013 को खातेदारान अजयकुमार, हितेश कुमार, तरूणकुमार पुत्रान नेचलदास उर्फ अशोक कुमार एवं मीना देवी बेवा नेचलदास उर्फ अशोककुमार जाति खत्री सिंधी निवासी किशनगढबास से विधिवत प्रतिफल राशि अदा कर क्रय किया था। जिस पर बरोज खरीद से वादीया लगातार काबिज चली आ रही है। बाद खरीद नामान्ताकरण खातेदारी का बयनामा के आधार पर वादीया के नाम दर्ज वो स्वीकार हुआ है। एवं चौसाला जमाबंदीयात कायम की हुई है।

विवादित आराजी वादीया की निजी खातेदारी वो कब्जा काश्त की भूमि है जिसमें किसी दीगर का कोई संबध सरोकार वास्ता नही है। ना पहले रहा है। पूर्व मे उक्त आराजीयात पर अजयकुमार वगै0 का कब्जा काश्त रहे है। बाद खरीद वादीया बतौर खातेदार कब्जा काश्त है। किन्तु आराजी मुतनाजा पर बच्चूमल पुत्र गेडूमल खत्री

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

के नाम शिकमी काश्त का इन्द्राज मौजूदा जमाबंदीयात मे दर्ज हो रहा है। जो खिलाफ मौका वो कब्जा एवं खिलाफ कानून है चूकि बच्चूमल नाम व्यक्ति ना तो गांव झिरण्डिया मे आबाद है, ना ही उसके कोई वारिसान ही है, जिनका कोई अता पता नही है। और ना ही बच्चूमल नाम को कोई कब्जा काश्त है। शिकमी काश्त का अंकन खिलाफ मौका खिलाफ कानून एवं खिलाफ कब्जा के दर्ज होने से वादीया को अपनी खातेदारी रकवा का विनियम /तबादला कराने बैक शाखा से केसीसी कार्ड जारी करवाने एवं कृषि विकास कराने में बाधा आ रही है। वादिया उपरोक्त अकन शिकमी को कलमजन कराने का दुरूस्ती कराने की अधिकारी है। अतः दावा दुरुस्ती इन्द्राज दायर करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात वाद वादीया निम्नप्रकार डिक्री फरमाया जावे।:—

अ— यह है कि डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर आराजी ख0न0 आराजी ख0न0107 रकबा 0.05 हे0, 108 रकबा 0.06हे0, 109 रकबा 0.10हे0, 110 रकवा 0.05 हे0, 103 रकबा 0.09 हे0 किता पांच रकबा 0.3500हे0 वाके ग्राम झिरण्डिया तह0 किशनगढबास जो अंकन शिकमी काश्त का बच्चूमल पुत्र गेडूमल खत्री के नाम का दर्ज हो रहा है। खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून है। हकूक वादिया के विरूद्व नल एण्ड वाइड है, जिसे हजफ कराया जाकर दुरूस्ती इद्राज की डिक्री पारित की जावे। इस प्रकार की घोषणा वादीया करा पाने की अधिकारी है।

ब— खर्चा मुकदमा वादीया को दिलाया जावे। एव दिगर न्यायोचित दादरसी जो अदालत श्रीमान मुनासिब समझे , अता फरमायी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील होने पर सरकार पक्ष की ओर से पैरोकार सरकार जवाब नायब तहसीलदार न्यायालय हाजा में उपस्थित हुये उन्होने व्यक्त किया कि दावा हाजा में राज्यहित नही है। अर्थात उन्हे इस संबध के कुछ नही कहना है। इसके पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई । वादीया ने साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र पीडब्लू—1, बलवान सिह पीडब्लू—2 पेश किये।

दस्तावेजी साक्ष्य मे वादीया ने नकल जमाबंदी हाल प्रदर्श—1, नकल विक्रय पत्र दिनांक 29.7.2013 , एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 12.9.22 पेश किये है।

वकील वादी की बहस सुनी गई । वकील वादी ने दावे में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न हाल जमाबंदी संवत प्रदर्श—1 में वादीया विवादित आराजी की मूल खातेदार है तथा तहसीलदार रिपोर्ट मौका के अनुसार वादीया का मौके पर कब्जा काश्त है एंव विवादित आराजी पर जो अमल बच्चूमल पुत्र गेडूमल खत्री सा0 देह शिकमी साल हो रहा है उसे कलमजन किया जाने की अभिशंषा की है। साथ ही

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

वादीया ने साक्ष्य में जो शपथ पत्र पेश किये है उनसे भी इस कथन की पुष्टि होती है। विवादित आराजी वादीगण की खरीदशुद्वा खातेदारी की आराजी है। जिसमें बच्चूमल पुत्र गेडूमल खत्री सा0देह शिकमी का अंकन हो रहा है। उसे हजफ किया जाना उचित एवं न्याय सगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :–

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है कि आराजी ख0न0 107 रकबा 0.05 हे0, 108 रकवा 0.06हे0, 109 रकबा 0.10हे0, 110 रकबा 0.05 हे0, 103 रकबा 0.09 हे0 किता पांच रकवा 0.3500हे0 वाके ग्राम झिरण्डिया तह0 किशनगढबास जो अंकन शिकमी काश्त वच्चूमल पुत्र गेडूमल खत्री के नाम का हो रहा है उसे कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिकी जारी हो । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
238 / 22	16.8.22	05.12.22

<u>उनवान</u>

1. **भावना** पत्नि श्री मनोज कुमार जाति खत्री निवासी ग्राम झिरण्डिया हाल आबाद किशनगढबास तह0 किशनगढबास वादी

बनाम

1. राज0स्टेट जरिये श्रीमान तहसीलदार तहसील किशनगढबास पैरोकार सरकार, किशनगढबास प्रतिवादी

दावा इश्तकराहक अन्तर्गत
धारा 88,89, आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः— श्री अजय कृष्ण व्यास वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी की ओर से जबाब सरकार।

<u>पर्चा डिकी</u>

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाता है कि आराजी ख0न0 107 रकबा 0.05 हे0, 108 रकबा 0.06हे0, 109 रकबा 0.10हे0, 110 रकबा 0.05 हे0, 103 रकबा 0.09 हे0 किता पांच रकबा 0.3500हे0 वाके ग्राम झिरण्डिया तह0 किशनगढबास जो अंकन शिकमी काश्त बच्चूमल पुत्र गेडूमल खत्री के नाम का हो रहा है उसे कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)